रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

26/12/8)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 1988/ज्येष्ठ 17, 1910

No. 318] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 1988/JYAISTHA 17, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 685(अ):– धातुत्पादक खान विनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का एक प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 280 (अ) तारीख 12 मार्च, 1987 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (1) तारीख 12 मार्च 1987 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 12 मार्च, 1987 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय, सरकार उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रारूप को उक्त अधिनियम के अधीन गठित समिति को निर्दिष्ट करने के पश्चात् और उक्त विनियम बनाने की समीचीनता के संबंध में तथा उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार उसकी उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए समुचित अवसर देने के पश्चात् धातुत्पादक खान विनियम 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1988 है।

(2) यह विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. धातुत्पादक खान विनियम, 1961 में, विनियम 124 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"124. धूल से बचने के लिए पूर्वाविधानियां - (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक ऐसे कदम उठाएगा जो धूल के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ऐसी धूल को दबाने के लिए जो भूमि के नीचे या भूतल कार्यस्थल से वायु में प्रवेश करती है, आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्वसन योग्य धूल के प्रति कर्मकारों का अनावृत रहना उस हद तक सीमित हो सके जो युक्ति युक्त रूप से साध्य हैं, किन्तु किसी भी दशा में यह उस सीमा से अधिक न हो सके जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो।

(2) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के कार्य करने या गुजरने या वहां होने के लिए कोई स्थान अहानिकर हालत वाला नहीं समझा जाएगा। यदि आठ घंटें का समय-जो वायु वाहित श्वसनयोग्य धूल का वजनीकृत औसत से केन्द्रीय केन्द्रण है:–

(i) मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित और अवधारित किस्म के गुरुत्वमापी धूल प्रतिचयक द्वारा सैंपल किए गए वायु के प्रति क्यूबिक मीटर मिली ग्राम में मैंगनीज अयस्क की दशा में पांच से अधिक हो जाता है और अन्य दशाओं में विद्यमान निर्बाध श्वसनीय सिलिका की प्रतिशतता के साथ 15 अंक को विभाजित करके प्राप्त मूल्य; या

(ii) श्वसनीय एसबेस्ट्स अग्नि की दशा में, मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत और उसके अनुसार किस्म के कला विपर्यासी प्रकाशकीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा परिमाणित और खुली झिल्लिका फिल्टर द्वारा सैंपल किए गए वायु के प्रति मिलीलिटर फाइबर में दो से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए "श्वसनीय एसबेस्ट्स फाइबर" पद से अभिप्रेत है क्रेसिडिलाइट, एकसनोलाइट, एमोसाइट, एन्थोफिलाइट, क्राइसोलाइट, ट्रेमोलाइट के खनिज सिलिकेटों के रेशेदार प्ररूप या उनका कोई संमिश्रण जिसकी लम्बाई 5 माइक्रोमीटर से बड़ी हो और व्यास 3 माइक्रोमीटर से कम हो तथा जिसकी लम्बाई कम से कम व्यास के तीन गुनी हो।

(3) (क) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक, धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1988 के प्रवृत्त होने के छह मास के भीतर और उसके पश्चात् कम से कम प्रत्येक छह मास में या जब कभी लिखित आदेश द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक ऐसी अपेक्षा करें, प्रत्येक ऐसे कार्य स्थान पर, जहां वायुवाहित धूल उत्पादित होती है, वहां की वायु का सैम्पल करा लें और उसमें श्वसनीय धूल के सकेन्द्रण अवधारित करा लें;

परन्तु यदि किसी कार्यस्थान पर किसी माप से सकेन्द्रण उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात सकेन्द्रण के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुज्ञात सीमा" कहा गया है) पचास प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत से अधिक प्रतीत होता है तो पश्चात्वर्ती माप ऐसे अन्तराल पर किए जायेंगे जो क्रमशः तीन मास या एक मास से अधिक का न हो:

परन्तु और कि ऐसे माप भी, किसी संयंत्र उपस्कर या मशीनरी के चालू किए जाने पर या किसी नवीन कार्य व्यवहार के प्रारम्भ किए जाने पर या उसमें ऐसे परिवर्तन किए जाने पर जिससे वायुवाही श्वसनीय धूल के स्तरों में पर्याप्त परिवर्तन होने की संभावना हो, तुरन्त किए जाने चाहिए।

(ख) सैम्पल करने की अवस्थिति, आवृत्ति समय, कालावधि और पद्धति ऐसे होगी जो, यथासाध्य, लिए गए सैम्पल कर्मकार व्यक्तियों के धूल प्रभावन स्तर का वास्तविक द्योतक हो और सैम्पलिंग में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात:—

(i) "स्थैतिक मानीटरन" कार्य करने के पर्यावरण धूल उत्सर्जन के स्रोतों और धूल सकेन्द्रण के स्तरों का पहचान करने के लिए "स्थैतिक मानीटरन" और

(ii) कर्मकार व्यक्तियों के श्वसन क्षेत्र में पहुंचने वाली वायु का "वैयक्तिक मानीटरन"।

चरम उत्सर्जनों के दौरान "सैम्पलिंग" की सम्यक अल्पकालिक सैम्पलिंग द्वारा की जाएगी।

(ग) सैम्पल निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और

(ii) ऐसे सैम्पल लेने वाले उपस्करों और उपसाधनों द्वारा जिनकी शुद्ध अनुरक्षण और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल कर ली गई हो तथा जिनकी परीक्षा की गई हो, परीक्षण किया गया हो तथा जिनका अंशांकन ऐसी तारीख को किया गया हो जो एक वर्ष से पहले का न हो।

(ध) सैम्पलों का श्वसनीय धूलांश और स्फोटक अंश यथासाध्य समुचित रूप से सज्जित ऐसे प्रयोगशाला में अवधारित किया जाएगा, जो इस निमित मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो ।

(ङ) वायुवाही श्वसनीय धूल के मापों के सभी परिणाम और सभी अन्य सुसंगत विशिष्टियां सैम्पलों के संग्रह किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृष्ठ संख्यांकित जिल्दबद्ध बही में व्यवस्थित रूप में से अभिलिखित की जाएगी। ऐसे अभिलेख के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर उपरोक्त बही की प्रत्येक प्रविष्टि प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी और तारीख डाली जाएगी ।

(4) जब धूल मानीटरन के परिणाम से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी स्थान पर धूल सकेन्द्रण की अनुज्ञात सीमा का अतिक्रमण हो रहा है तो संबंध संचालन या संक्रियाएं, जिनसे अधिक धूल आती है,समाप्त कर दी जाएगी। संचालन या संक्रियाएं जब तक न तो पुनः आरम्भ की जाएगी और न तो की जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी, जब तक धूल के निवारण और दमन में सुधार नहीं हो जाता है तथा उक्त संचालन या संक्रियाओं के पुनरारम्भ पर किए गए नए सैम्पलिंग से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि ऐसे सुधारों से धूल सकेन्द्रण "अनुज्ञात परिसीमा" से नीचे हुआ है :

परन्तु यह कि यदि किसी मशीनरी या उपस्कर का धूल निवारण और दमन या युक्तिकत दक्षतापूर्वक कार्य करने में असफल रहती है तो उक्त मशीनरी या उपस्कर का संचालन उसी प्रकार समाप्त कर दिया जाएगा और तब तक पुनः आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक उसी त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया जाता है :

परन्तु और कि किसी ऐसी कार्य स्थिति में, जहां शुद्ध रूप से संरक्षण के आकस्मिक उपाय या अनुपूरक साधन के रूप में, तकनीकी रीति से श्वसनीय धूल सकेन्द्रण को अनुज्ञात सीमा से नीचे रखना संभव नहीं है या किसी उपाय को प्रति स्थापित और चालू करने या धूल निवारण या दमन के लिए किसी नवीन कार्य व्यवहार को स्थापित करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान, "अनुज्ञेय अनावरण सीमा" का अनुपालन सुदूर संक्रिया द्वारा या कार्य आवर्तन किया जा सकेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसी किस्म के श्वसित्र उपस्कर के जिसे मुख्य निरीक्षक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा समय समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट करें, प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकेगा ।

(5) प्रत्येक ऐसे खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक जहां धूल श्वसित्रों की आवश्यकता हो सकती है ।

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उपविनियम (4) के द्वितीय परन्तु के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति ऐसे किसी स्थान में जहां श्वसनीय धूल सकेन्द्रण अनुज्ञात सीमा से अधिक है, तब तक प्रवेश करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह उपयुक्त धूल श्वसित्र नहीं पहने होता है ; और

(ख) यह उपबंध करेगा कि—

(1) संबंधित कर्मकार व्यक्ति की सलाह के बिना उसके प्रयोग के लिए पर्याप्त डिजाइन का पर्याप्त धूल श्वसित्र प्राप्त हो सकें :

(2) धूल श्वसित्रों की नियमित सफाई, विसंक्रामण किया जाए और दक्षतापूर्ण कार्यकरण की हालत में अनुरक्षण किया जा सके : और

(3) श्वसित्रों के समुचित रूप से भरण और शुद्ध प्रयोग करने के लिए तथा संबद्ध कर्मकारों के, जिसको इसकी आवश्यकता हो, पूर्ण से प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करे;

(6) धूल फैलने और एकत्रित होने और वायुवाही धूल के प्रसार को निवारित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) धूल का दमन, उसके बनने के स्रोत में जहां वह बनती है, यथा संभव समीप किया जाएगा;

(ख) भूतल पर या भूतल से नीचे बनाने या बोर करने के दौरान—

(i) ऐसे टुकड़ो, जो तीक्ष्ण हों और समुचित आकार के हों, का प्रयोग करके टुकड़ों पर उपयुक्त दबाव डालकर और छिद्रों को कतरनों से साफ करके धूल के उत्पादन को कम किया जाएगा ।

(ii) कतरन करने वाले धार पर कतरनों को गीला करने के लिए जेट या जल का स्रोत किया जाएगा या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित उसी प्रकार की अन्य कारगर युक्ति उपलब्ध की जाएगी और उन्हें बरमाने या बोर करने की संक्रियाओं के

दौरान वातावरण को धूल से भरने से रोकने के लिए ये कार्य जारी रखे जाएंगे। जहां वायुवीय बरमाने की क्रिया की जाती है, वहां बरमें की और संमीडित वायु करने से पहले जल का रूख किया जाएगा। किन्तु जब बरमाने की क्रिया हाथ से की जाए तब यह पर्याप्त होगा यदि छिद्रो को ऐसे रमाने के दौरान लगातार गीला रखा जाए।

(ग) जहां भूमितल पर या सतह के नीचे जल खनन मशीनरी कार्यरत हो वहां सडकें नियमित रूप से गीली रखी जाएगी या किन्हीं अन्य उसी प्रकार कारगर युक्ति द्वारा वातावरण में फलने वाली धूल को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से अभिक्रियान्वित किया जाएगा जिससे कि वातावरण मे धूल न उठ पाए।

(घ) खनिजों या अयस्कों को छानने या छांटने के लिए कोई संयंत्र और यथाशक्य सिंडर, सिमेन्ट, रेत, मोरटार या अन्य शुष्क और तारीक सामग्री की कोई ढेर किसी डाउन कास्टशैफ्ट या अन्य अन्तः ग्रहीत वायुमार्ग के ऊपर 80 मी. के भीतर नही रखा जाएगा, या ऐसी किसी सामग्री को इस प्रकार प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, जिससे कि वह वायुवाही हो जाए और ऐसे शफट या वायुमार्ग में खिचकर न चला जाए।

(ङ) भूमि के नीचे की प्रत्येक खुदाई में--

(i) ऐसे किसी मशीनरी या उपस्कर को, जिससे अनुज्ञात सीमा से अधिक धूल निकलने की संभावना है, तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक यह समुचित धूल निवारक और दबाने की युक्ति से सुसज्जित न हो और जब तक कि ऐसी युक्ति कारगर रूप से कार्य न कर रही हो :

(ii) कार्य स्थानों और उसके आस-पास की चट्टान की दीवारों को, जब तक पूरी तरह स्वाभाविक रूप से गीली न हो, धूल एकत्रित होने से रोकने के लिए नियमति रूप से धुलाई की जाएगी और उन्हे काम की पारियों के दौरान पूर्णतः गीला रखा जाएगा

(iii) किसी मशीनरी या संक्रिया द्वारा निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए पर्याप्त एक वायु-प्रवाह और धूल सकेन्द्रण को "अनुज्ञात-सीमा" से नीचे रखने के लिए सामान्य संवातन द्वारा और यदि आवश्यक हो स्थानीय संवातन द्वारा बनाएं रखा जाएगा जिससे कि यथाशक्य किसी सड़क मार्ग या कार्यस्थान में वायु की गति इतनी तेज न हो जाए कि वातावरण मे धूल उठा सके.

(iv) विस्फोटन के पश्चात कार्यस्थान मे तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक वायु-प्रवाह धूल और गुबार साफ हो जाने के लिए पर्याप्त समय न बीत गया हो तथा खंडित अयस्क या चट्टान को तब तक नही हटाया जाएगा, जब तक इन्हे जल द्वारा पूरी तरह से गीला न कर दिया गया हो :

(v) खनिजों और अयस्कों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यानों, टयूबों और कनवेयरों को अच्छी हालत में रखा जाएगा जिससे कि अधिप्लावन और रिसन कम हो सके। शूटो, सर्पिल कनवेयरो, अयस्कपासों, बिनों, रिक्तकों, कन्वेयर निर्वहन विदुओं और वास्टी लदान और उतरान स्थापनों का इस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा जिससे कि धूल बनना न्यूनतम हो जाएगा। ऐसी सामग्रियों को तब तक पूरी तरह गीला भी किया जाएगा जब तक कि वे पूरी गीली नही हो जाती या धूल दबाने के ऐसी किसी अन्य युक्ति का प्रयोग नही किया जाता है।

(v) जब तक कि विशेष कठिनाइयो के कारण, प्रादेशित निरीक्षण द्वारा इस निमित लिखित रूप से छूट नही दी जाती है और ऐसी शर्तों के आधीन रहते हुए जिन्हे वह उसमें विनिर्दिष्ट करें, पाइप में जल को पर्याप्त परिमाप में और परिर्याप्त दबाव के अधीन और अलग से किसी पंपिग प्रणाली का भी उपबंध किया जाएगा और उसी हालत में बनाए रखा जाएगा जिससे कि धूल का अधिक से अधिक कारगर रूप से शान्त किया जा सके :

(च) अयस्कों, खनिजों या पत्थरों के पीसने, तोड़ने, विघटित करने, खोलने, ग्रांडिग करने, छानने या सीविंग करने की किसी प्रक्रिया को या उससे अनुषंगिक किसी संक्रिया को किसी खान मे तब तक नहीं किया जाएगा जब तक समुचित और प्रभारी धूल नियंण उपाय परि अलग करना, खडा लगाना, संवातन और धूल संग्रहण के लिए परिकल्पना उपबंध, अनुरक्षण और प्रयोन नहीं किया जाता है।

(छ) भूमि के नीचे या सतह पर निस्कासित वायु को, जिसमें "अनुज्ञात सीमा" से अधिक धूल हो, कारगर रूप से तनुकृत किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कार्यस्थान में पुनः—परिचालित करने से पूर्व या वातावरण में छोड़ने से पूर्व, इस प्रकार फिल्टरित किया जाएगा जिससे कि उसमें की श्वसनीय धूल के सकेन्द्रण को अनुज्ञात सीमा से दस प्रतिशत से नीचे कम रखा जा सके।

(ज) किसी मशीनरी, उपस्कर या प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न धूल के निवारण और दबाने के लिए तथा निष्कासित वायु को फिल्टर करने के लिए भी प्रयुक्त प्रत्येक युक्ति और प्रत्येक धूल श्वसित्र का सात दिन में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक छह मास की अवधि में कम से कम एक बार पूरी परीक्षा और जांच की जाएगी, प्रत्येक ऐसे निरीक्षण, परीक्षा और जांच के परिणामों की रिपोर्ट को, उपविनियम (3) के खंड (ङ) के अधीन रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक एस्बेस्टस खान का जहां प्रेषण संक्रियाएं की जाती है, और जहां धूल सकेन्द्रण की "अनुज्ञेय सीमा" अधिक हो जाती है, स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक—

(क) निम्नलिखित का भी, अर्थात:—

(i) ऐसी संक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के प्रयोग के लिए, बिना किसी लागत के, अच्छी हालत में, पर्याप्त सुरक्षात्मक वस्त्र, और निर्यात मार्जक के माध्यम से समुचित धूलीकरण और नियमित रूप से धुलाई की व्यवस्था करेगा :

(ii) सुरक्षात्मक वस्त्र पहनने और उतारने के लिए समुचित परिवर्तन स्थान की व्यवस्था :

(iii) धूलाई और स्नान के लिए अच्छी हालत में रखे गए स्थान की व्यवस्था करेगा।

(iv) निजी कपड़ों के रखने और बदलने के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था करेगा :

(v) भोजन और स्नैक लेने के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद स्थान की व्यवस्था करेगा।

(ख) निम्नलिखित के लिए, अर्थात् :—

(1) एस्बेस्टस रेशों के छांटने, पृथक्करण, श्रेणीकरण, मिश्रण करने, संपीड़ित करने और पेकिंग करने और अपशिष्ट का संग्रहण और व्ययन करने, जिसमें फिल्टरित धूल को ऐसी रीति से निकालना सम्मिलित है जिससे कि एस्बेस्टस धूल वायु में मिलने न पाए, का कार्य कराएगा :

(2) सभी मशीनरी, संयंत्र, कार्य परिसर और भवन के सभी आंतरिक धरातल को, जहां प्रेषण संक्रियाएं की जाती हैं, स्वच्छ हालत में तथा एस्बेस्टस अपशिष्ट से मुक्त रखवाएगा। ऐसी सफाई निर्वात मार्जक द्वारा या किन्हीं समुचित रेचक वातप्रवाह द्वारा पूरी कराएगा और ऐसी संक्रियाएं करने वाले या उस स्थान पर उपस्थित व्यक्तियों को समुचित श्वसित्र उपस्कर तथा सुरक्षात्मक वस्त्र प्रदान कराएगा और वे उसे धारण करेंगे।

(3) अपेक्ष थैलों में एस्बेस्टस रेशों को पैक कराएगा।

(4) सावधानी सूचनाएं ऐसी भाषा या भाषाओं में जो बहुसंख्यक कर्मकारों की समझ में आए, मानक सावधानी प्रतीक चिन्हों के साथ, ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहां एस्बेस्टस का प्रेषण किया जा रहा है और धूल से आरक्षित की "अनुज्ञात सीमा" अधिक होने की संभावना हो प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्तियों को एस्बेस्टस धूल से स्वास्थ्य परिसंकट के विषय में, रक्षात्मक वस्त्र के प्रयोग की आवश्यकता और उस स्थानमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को समुचित धूल श्वसित्रका उपयोग करने के संबंध में तथा सिगरेट, बीड़ी सिगार आदि पीने से उसके योगवाही प्रभाव के परिसंकट को और एस्बेस्टस धूल के प्रति उपजीविका जन्य आरक्षण के संबंध में सावधान किया जा सके।

(8) प्रत्येक ऐसे खान का जहां वायुवाही धूल उत्पादित होती है, प्रबंधक एक स्कीम बनाएगा और उसे कार्यान्वित करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा—

(क) नमूने का अवस्थान, आवृत्ति, समय, अवधि और पद्धति

(ख) नमूने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और उपसाधन :

(ग) प्रयोगशाला, जहां नमूने की श्वसनीय धूल की अन्तर्वस्तु और स्फटिक अन्तर्वस्तु अवधारित की जाएगी :

(घ) रूपण, जिसमें धूल सकेन्द्रण के मापों के परिणाम और अन्य विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी :

(ङ) धूल मानिटर करने और धूल निवारण तथा उसे दबाने संबंधी उपायों और धूल श्वसित्रों की परीक्षा और अनुरक्षण के लिए संगठन : और

(च) धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के संबद्ध सभी व्यक्तियों को इस निमित्त प्रत्येक द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से पूर्णत सुपरिचित करने की रीति।

(9) प्रादेशिक निरीक्षक, जहां ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों, एक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमे विनिर्दिष्ट करे, पूर्वगामी उपबंधों में या प्रबंधक को स्कीम में किसी परिवर्तन की अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा।

(10) इस विनियम में निर्दिष्ट किसी बात के संबंध में किसी शंका के उत्पन्न होने पर मुख्य निरीक्षक को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[संख्या एस 66012(3)86-एम-1]

राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

टिप्पण : मूल विनियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 337 तारीख 11 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया —

1. सा.का.नि. 441 तारीख 7 मार्च, 1964
2. सा.का.नि. 946 तारीख 23 जून, 1964
3. सा.का.नि. 1581 तारीख 21 अक्तूबर, 1965
4. सा.का.नि. 1604 तारीख 24 अक्तूबर 1965
5. सा.का.नि. 1359 तारीख 26 अगस्त, 1966
6. सा का.नि. 1701 तारीख 31 अक्तूबर, 1966
7. सा.का.नि. 1739 तारीख 9 नवम्बर, 1966
8. सा.का.नि 1370 तारीख 30 अगस्त, 1967
9. सा.का.नि 1472 तारीख 21 सितंबर, 1967
10. सा.का.नि. 1555 तारीख 14 अगस्त, 1968
11. सा.का.नि. 1016 तारीख 16 अप्रैल, 1969
12. सा.का.नि. 2293 तारीख 2 सितंबर, 1969
13. सा.का.नि. 527 तारीख 17 मार्च, 1970
14. सा.का.नि. 949 तारीख 10 जून, 1970
15. सा.का.नि. 947 तारीख 13 जुलाई, 1972
16. सा.का.नि. 540 तारीख 14 मई, 1974
17. सा.का.नि. 1009 तारीख 5 सितंबर, 1974
18. सा.का.नि. 1093 तारीख 20 सितम्बर, 1974
19. सा.का.नि. 513 तारीख 4 अप्रैल, 1975
20. सा.का.नि. 308 तारीख 20 फरवरी, 1977
21. सा.का.नि. 502 तारीख 26 मार्च, 1977
22. सा.का.नि. 615(अ) तारीख 30 जुलाई, 1985
23. सा.का.नि. 171 तारीख 21 अगस्त, 1986

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th June, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 685(E).—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961 was published as required by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th March, 1987, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 280(E) dated 12th March, 1987, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 12th March, 1987 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, the Central Government, after referring the said draft to the Committee constituted under the said Act and after giving it a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making of the said regulations and as to the suitability thereof as required by sub-section (4) of section 59 of the said Act, hereby makes the following regulation, further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961, namely :—

1. (i) This regulation may be called the Metalliferous Mines (Amendment) Regulation, 1988.

(ii) This Regulation shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Metalliferous Mines Regulations, 1961, for regulation 124, the following regulation shall be substituted, namely :—

"124. Prosecutions against dust.—(1) The owner, agent or manager of every mine shall take such steps as are necessary for the minimising of emissions of dust and for the suppression of dust which enters the air at any work place below ground or on surface and for ensuring that the exposure of workers to respirable dust is limited to an extent that is reasonably practicable but in any case not exceding the limits that are harmful to the health of persons.

(2) For the purpose of this regulation, a place shall not be deemed to be in a harmless state for persons to work or pass or be therein, if the 8 hours time—weighted average concentration of airborne respirable dust.—

(i) in milligrams per cubic metre of air sampled by a gravimetric dust sampler of a type approved by and as determined in accordance with the procedure as specified by the Chief Inspector by a general or

special order, exceeds five in case of manganese ore and the value arrived at by dividing the figures of fifteen with the percentage of free respirable silica present in other cases ; or

(ii) in case of respirable asbestos fibres, exceeds two fibres per millilitre of air sampled by an open membrane filter and measured by a phase contrast optical microscope of a type approved by and in accordance with the procedure as specified by the Chief Inspector by a general or special order.

Explanation.—For the purpose of this regulation, the term "respirable asbestos fibre" means any fibrous form of mineral silicates of Chrysotile actionolite amosite, anthophyllite, crocidolite, tremolite or any admixture thereof with a length of greater than 5 micrometres and a diameter of less than 3 micrometres and a length to—diameter ratio greater than three is to one.

(3) (a) The owner, agent or manager of every mine shall, within six months of the coming into force of the Metalliferrous Mines (Amendment) Regulation, 1988 and once at least every six months thereafter or whenever the Regional Inspector so requires by an order in writing, cause the air at every work place where airborne dust is generated to be sampled and the concentration of respirable dust therein determined :

Provided that, if any measurement at any workplace shows the concentration in excess of fifty per cent or seventy five per cent of the allowable concentration as specified in sub-regulation (2) (hereinafter referred to as ' permissible limit') the subsequent measurements shall be carried on at intervals not exceeding three months or one month respectively :

Provided further that, such measurements shall also be carried on immediately upon the commissioning of any plant, equipment or machinery or upon the introduction of any new work practice or upon any alteration therein that is likely to bring about any substantial change in the level of airborne respirable dust.

(b) The location, frequency, timing, duration and pattern of sampling shall be such that the samples drawn are, as far as practicable, truly representative of the levels of dust exposure of work persons, and the sampling shall include.—

(i) 'static monitoring' to identify sources of dust emission and levels of dust concentration in working environment ; and

(ii) 'personal monitoring' of air reaching the breathing zone of work persons.

The sampling shall be duly supplemented by short-term sampling during peak-emissions.

(c) Samples shall be taken.—

(i) by a person who has been specially trained for the purpose ; and

(ii) by the sampling equipment and accessories that have been checked to ensure correct maintenance and efficient operation thereof and examined, tested and calibrated on a date which is not earlier than one year.

(d) Respirable dust content of the samples and quartz content shall be determined as soon as practicable at a properly equipped laboratory approved in writing by the Chief Inspector in that behalf.

(e) All result of measurements of airborne respirable dust and all other relevant particulars shall be systematically recorded within fourteen days of the date of collection of samples, in a bound paged book kept for the purpose. Every entry in the book aforesaid shall be countersigned and dated by the manager within twenty-four hours after such recording.

(4) When the dust monitoring results have established that the permissible limit of dust concentration is being exceeded at any place, the relevant operation or operations causing excessive dust shall cease. The operation or operations shall not be resumed and allowed to be carried on until improvements have been made in the prevention and suppression of dust and fresh sampling carried out immediately on resumption of the said operation or operations has established that such improvements have reduced the dust concentration below the 'permissible limit'.

Provided that if the dust prevention and suppression device of any machinery or equipment fails to operate efficiently, the operation of the said machinery or equipment shall likewise cease and shall not be resumed until the defect therein has been rectified :

Provided further that, purely as a contingency measure or as a secondary means of protection in a work situation wherein it is technically not feasible to reduce the respirable dust concentration below the 'permissible limit' or during the time period necessary to instal and commission any device or to institute any new work practice for dust prevention or suppression, compliance with the 'permissible limit' of dust exposure may be achieved by remote operation or by job rotation and failing which by the use of a respiratory equipment of a type specified from time to time by the Chief Inspector, by a general or special order in writing in this behalf.

(5) The owner, agent or manager of every mine where need of dust respirators might arise shall.—

(a) ensure that, subject to the second proviso to sub-regulation (4), no person goes into or works or is allowed to go into or work at any place where the respirable dust concentration is in excess of the 'permissible limit' unless he wears a suitable dust respirator ; and

(b) provided.—

(i) sufficient dust respirators of appropriate design at no cost to concerned work persons for their use ;

(ii) for the dust respirators to be regularly cleaned, disinfected and maintained in efficient working order ; and

(iii) for the proper fitting of and for thorough training of the concerned workers in the need for and correct use of respirators.

(6) To prevent the liberation and accumulation of dust and the propagation of airborne dust, the following provisions shall have effect, namely :—

(a) dust shall be suppressed as close as possible to its source of formation,

(b) during any operation of drilling or boring on surface of below ground.—

(i) the production of dust shall be reduced by using bits which are sharp and of proper shape, by keeping suitable pressure on the bits and by keeping the holes clear of the cuttings,

(ii) a jet of water shall be directed on to the cutting edge to wet the cuttings or other equally efficient device approved by the Chief Inspector shall be provided and kept in operation throughout the drilling or boring operation to prevent the atmosphere being charged with dust. Where pneumatic drilling is performed, water shall be turned on before turning on compressed air to the drill. When, however, drilling is done by hand, it shall be sufficient if holes are kept constantly moist during such drilling.

(c) Roadways on surface or below ground where mobile mining machinery ply shall be regularly wetted for shall be effectively treated with some other equally efficient agent to reduce dust being raised in the atmosphere to a minimum.

(d) No plant for the screening or sorting of minerals or ores and as far as practicable, no heap of cinder cement, sand, mortar or other dry and fine material shall be placed within 80 m. of the top of any down-cast shaft or other intake airway nor shall any such material be so handled as to make it air-borne and drawn into such shaft or airway.

(e) In every working below ground.—

(i) no machinery or equipment which is likely to emit dust in excess of 'permissible limit' shall be operated unless it is equipped with a suitable dust-prevention and suppression device and unless such device is operating efficiently ;

(ii) work places and rock walls in the vicinity thereof shall be, unless naturally wet through out, regularly washed down to prevent accumulation of dust and shall be kept thoroughly wetted during work shifts ;

(iii) a current of air sufficient to clear away the dust emitted by any machinery or operation and to dilute the dust concentration below the 'permissible limit' shall be maintained by means of general ventilation and if necessary, by local ventilation, so however that, as far as practicable, the velocity of air in any roadway or workplace shall not be such as to raise dust in the atmosphere ;

(iv) after blasting, working places shall not be entered, unless sufficient time has elapsed for dust, smoke and fumes to be cleared by a current of air and the broken ore or rock shall not be moved unless it has been thoroughly wetted with water ;

(v) vehicles, tubs and conveyors used for transport of mineral or ores shall be maintained in good condition so as to minimise spillage or leakage, chutes, spiral conveyors, ore passes, bins, trippelers, conveyor discharge points and skip loading and unloading installations shall be so controlled as to reduce the formation of dust to the minimum. Such material shall be also thoroughly wetted with water unless it is already wet or other effective means of dust suppression are used ;

(vi) unless, owing to special difficulties, exempted in writing by Regional Inspector in that behalf and subject to such conditions as he might specify therein, water in pipes in sufficient quantity and under adequate pressure and independent of any pumping system shall be provided and maintained so as to get maximum efficiency in the laying of dust.

(f) No process of crushing, breaking, disintegrating, opening, grinding, screening or sieving of ores, minerals or stone or any operation incidental thereto shall be carried out at any mine unless appropriate and effective dust control measures, such as, but not limited to isolation, enclosure, exhaust ventilation and dust collection are designed provided, maintained and used.

(g) The exhausted air, belowground or on surface, which contains dust in excess of the 'permissible limit' shall be efficiently diluted and if necessary filtered so as to reduce the concentration of respirable dust therein below ten per cent of the 'permissible limit' before being recirculated into working places or before emission into atmosphere.

(h) Every device used for the prevention and suppression of dust produced by any machinery, equipment or process as also for the filtering of the exhausted air and every dust respirator shall be inspected once at least in every seven days and shall be thoroughly examined and tested at least once in every period of six months and reports of the results of every such inspection, examination and test shall be recorded in the register maintained under clause (e) of sub-regulation (3).

(7) The owner, agent, or manager of every asbestos mine where mining operations are carried on and where 'permissible limit' of dust concentration is exceeded, shall also.—

(a) provide.—

(i) sufficient protective clothing in good condition for the use of, at no cost to, the persons employed in such operations, as well as arrangements for proper dusting by means of a vaccum cleaner and for regular washing thereof ;

(ii) suitable place for putting on and taking off the protective clothing ;

(iii) well maintained washing and bathing places ;

(iv) separate place for storing and changing personal clothing ;

(v) clean and hygienic place for taking food or snacks. -

because- -

(i) sorting, separation, grading, mixing, compression and packing of asbestos fibres and collection and disposal of waste including filtered dust to be carried out in such a manner that asbetoes dust does not escape into air ;

(ii) all machinery, plant, work premises and all internal surfaces of the building where milling operations are carried on to be maintained in clean state and free of asbestos waste. Such cleaning shall be carried out by means of a vaccuum cleaner or by some suitable exhaust draught and persons undertaking these operations or present thereat shall be provided with and wear appropriate respiratory equipment and protective clothing ;

(iii) asbestos fibres to be packed in imper- [illegible]

(iv) cautionary notices, in language or languages understood by the majority of work persons with standard warning symbol to be prominently displayed at every such place where milling of asbestos is carried on and where the 'permissible limit' of dust exposure is likely to be exceeded, to warn the persons as to the hazards to health from asbsetos dust, as to the need for the use of protective clothing and of appropriate dust respiratory by persons entering therein and as to the synergistic effect on the hazards of smoking cigarettes, beedis, cigars, etc. and occupational exposure to asbestos dust.

(8) The Manager of every mine where airborne dust is generated, shall formulate and implement a scheme specifying.—

(a) the location, frequency, timing, duration and pattern of sampling ;

(b) the instruments and accessories to be used for sampling ;

(c) the laboratory at which respirable dust content of samples and quartz content shall be determined ;

(d) the format in which the results of measurements of dust concentration and other particulars have to be recorded ;

(e) the organisation for dust monitoring and for the examination and maintenance of dust prevention and suppression measures and dust respirators ; and

(f) the manner of making all persons concerned with the implementation of the dust control measures fully conversant with the nature of work to be performed by each in that behalf.

(9) The Regional Inspector may, where special conditions exist, permit, or require by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, and variation in the foregoing provisions or in the manager's scheme

(10) If any doubt arises as to any matter referred to in this regulation, it shall be referred to the Chief Inspector for decision".

[F. No. S-66012|3|86-M.I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

NOTE :—Principal regulations were published, vide Notification No. G.S.R. 337, dated the 11th March, 1961.

Further amended by :—

(1) G.S.R. 441, dated the 7th March, 1964.

(2) G.S.R. 946, dated the 23rd June, 1964.

(3) G.S.R. 1581, dated the 21st Oct., 1965.

(4) G.S.R. 1604, dated the 24th Oct., 1965.
(5) G.S.R. 1359, dated the 26th Aug., 1966.
(6) G.S.R. 1701, dated the 31st Oct., 1966.
(7) G.S.R. 1739, dated the 9th Nov., 1966.
(8) G.S.R. 1370, dated the 30th Aug., 1967.
(9) G.S.R. 1472, dated the 21st Sep., 1967.
(10) G.S.R. 1555, dated the 14th Aug., 1968.
(11) G.S.R. 1016, dated the 16th Apr., 1969.
(12) G.S.R. 2293, dated the 2nd Sep., 1969.
(13) G.S.R. 527, dated the 17th March, 1970.
(14) G.S.R. 949, dated the 10th June, 1970.
(15) G.S.R. 947, dated the 13th July, 1972.
(16) G.S.R. 540, dated the 14th May, 1974.
(17) G.S.R. 1009, dated the 5th Sep., 1974.
(18) G.S.R. 1093, dated the 20th Sep., 1974.
(19) G.S.R. 513, dated the 4th April, 1975.
(20) G.S.R. 308, dated the 20th Feb., 1977.
(21) G.S.R. 502, dated the 26th March, 1977.
(22) G.S.R. 615(E), dated the 30th July, 1985.
(23) G.S.R. 171, dated the 21st Aug., 1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1988